संख्या- 2/2016/1786/49-1-2015-08(80)/12टीसी-।

प्रेषक,

प्रतीक संजर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 19 फरवरी, 2016

विषय- गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु स्वीकृत ऋण को अंशपूँजी में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक-415/लेखा-अ, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 में अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु लेखा शीर्षक "6425-सहकारिता के लिए कर्ज-आयोजनेत्तर-800-अन्य कर्ज-05-अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऋण-30-निवेश/ऋण " के अधीन प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष क्रमशः शासनादेश संख्या-1106/49-01-2015-06(25)/15, दिनांक 22 जून, 2015, शासनादेश संख्या-1311/49-01-2015-06(25)/15, दिनांक 05 अगस्त, 2015 एवं शासनादेश संख्या-1512/49-01-2015-06(25)/15, दिनांक 01 सितम्बर, 2015 द्वारा स्वीकृत किये गये क्रमशः रूपये 227.55 करोड़ रूपये 163.97 करोड़ तथा रूपये 173.62 करोड़ अर्थात कुल रूपये 565.14 करोड़ के ऋण को अंशपूँजी में परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु उपरोक्तानुसार दिये गये ऋण रूपये 565.14 करोड़(रूपये पॉच सौ पैंसठ करोड़ चौदह लाख) को अंशपूँजी में परिवर्तित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। तत्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से उक्त योजनान्तर्गत अंशपूँजी में प्राविधानित रू0 565.14 करोड़ की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखे जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति भी प्रदान करते है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-18 के लेखा शीर्षक "4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-107-क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश-04 अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस

http://sfasamadesh.up.nic.in

प्राप्त करने हेतु अंशपूँजी-30 निवेश/ऋण '' के नामें डाला जायेगा। उक्त धनराशि का नकद आहरण न कर प्रशनगत धनराशि को पुस्तक समायोजन द्वारा लेखाशीर्षक-'' 6425-सहकारिता के लिये कर्ज-800-अन्य कर्ज-03-अधिकोषण योजनान्तर्गत गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कर्ज '' के प्रासि पक्ष में जमा की जायेगी।

4- उपरोक्त प्रस्तर-1 उल्लिखित शासनादेश दिनांक 22 जून, 2015, 05 अगस्त, 2015 एवं 01 सितम्बर 2015 में इंगित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

5- उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि के शेयर नियमानुसार राज्य सरकार के पक्ष में जारी किये जाये।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-2-यू0ओ0-97/दस-2016, दिनांक 18 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 2/2016/1786(1)/49-1-15-08(80)/12टीसी-। तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ उ0प्र0 ।
5- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6- मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-2/बजट अनुभाग-2/सहकारिता अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

http://srisanadesh.up.nic.in